राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	513/2021 छीतर बनाम उषा हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19/03/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 27/03/2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
27/03/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 15/03/2021 पारित करते हुये तहसीलदार जयपुर को राजस्व ग्राम रामलाकाबॉस पटवार क्षेत्र कालवाड़, भू-अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र कालवाड़, तहसील जयपुर में स्थित खाता संख्या नया 2 पुराना 9 के खसरा नम्बर 81 रकबा 04 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 82 रकबा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 83 रकबा 09 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 84 रकबा 02 बीघा कुल किता 04 कुल रकबा 16 बीघा एवं खाता संख्या नया 09 पुराना 08 के खसरा नम्बर 88 रकबा 34 बीघा 17 बिस्वा का तकासमा पक्षकारान की मौजूदगी में राजस्व विभाजन नियम 18 से 21 की पालना करते हुये राजस्व रिकार्ड के हिस्से अनुसार/पके निर्माणानुसार बाई मीट्स एंड बाउन्ड्स के आधार पर कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। जिससे व्यथित होकर प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 15/03/2021 के विरुद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री का अवलोकन किये जाने से उसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी प्रतीत नही होती है। चूँकि सहखातेदारान के मध्य विभाजन एवं अनिवार्य प्रक्रियां है एवं मूल प्रकरण विभाजन का है, जिसमे पारित विधिसम्मत प्राथमिक निर्णय व डिक्री को अपीलार्थी द्वारा उठाई गई तकनीकी आपत्ति के आधार पर निरस्त किया जाकर विभाजन को लम्बित रखा जाना न्यायसंगत नही समझा जाता है। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 15/03/2021 यथावत रखे जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 27/03/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	